



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

एक राष्ट्र एक चुनाव : चुनावी भ्रष्टाचार नियंत्रण का माध्यम !

प्रा.डॉ.लक्ष्मण रत्नाकर बाबुराव

परियोजना निदेशक ,

भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली

भारतीय कारगर नीति सामाजिक अनुसंधान

सहयोगी प्राध्यापक तथा अनुसंधान मार्गदर्शक

स्नातक तथा स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष

देगलूर महाविद्यालय देगलूर

ता.देगलूर जिला .नांदेड (महाराष्ट्र)

सारांश : यह शोध लेख भारत में चुनाव में होनेवाले भ्रष्टाचार को इंगित करता है । लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में बढ़ते खर्च को स्पष्ट किया है । भारतीय चुनाव में भ्रष्टाचार हेतु किन कवायतों को राजनीतिक दल , चुनावी प्रत्याशी कि ओर से अपनाया जाता है इसका विश्लेषण किया है । जिससे चुनाव में भ्रष्टाचार बढ़कर चुनावी खर्च में किसप्रकार इजाफा होता है । इस चुनावी खर्च को नियंत्रण में लाने हेतु चुनाव आयोग और भारत सरकार ने अनेक प्रयास किये उसे स्पष्ट किया है । फिर भी चुन्वी खर्च और भ्रष्टाचार नियंत्रण में नहीं आता । इसे नियंत्रण में लाने हेतु एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार एक पर्याप्त माध्यम किसप्रकार है , इसे इस शोध लेख में विश्लेषित किया है ।

कीवर्ड : एक राष्ट्र एक चुनाव , लोकतंत्र , चुनाव आयोग , राजनीतिक दल , लोकसभा , विधानसभा . अलोकतांत्रिक , चुनाव नियंत्रण , चुनाव खर्च , चुनाव भ्रष्टाचार शोध लेख का आधार - प्रेरणा : भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद , नई दिल्ली के भारतीय कारगर नीति सामाजिक अनुसंधान के तहत मान्यता प्राप्त बृहद अनुसंधान प्रकल्प विषय एक राष्ट्र एक चुनाव की सामाजिक -आर्थिक एवं राजनीतिक उपलब्धियां एवं चुनौतियों

का अध्ययन के कारण मुझे एक राष्ट्र एक चुनाव इस विषय पर अनुसंधान करने का अवसर प्राप्त हुआ है । प्रस्तावित शोध लेख इस अनुसंधान कार्य का हि एक अंश है ।

1. प्रस्तावना :

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है । नूतन एवं सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए यह एक अच्छा नमूना है । जो स्वतंत्रता और समानता के मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित है । भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में अनेक संवैधानिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । इनमें से एक महत्वपूर्ण संस्था है , चुनाव आयोग । जिसके लिए आम जनता , राजनीतिक दल और चुनावी प्रत्याशीयों को उत्तरदायी माना जा सकता है । स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव एक कार्यकारी लोकतंत्र कि कसौटी है । इसी चुनावी व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने की प्रक्रिया के आधार पर हम भारत के लोकतंत्र पर गर्व कर सकते हैं । तो दूसरी ओर इसी चुनावी व्यवस्था एवं प्रक्रिया के दरम्यान होनेवाली अलोकतांत्रिक धांधलियां भी हमें लोकतंत्र के भविष्य के प्रति चिंतित करते हैं । इसी चिंता को अधिक दृढ़ करने का कार्य चुनावी भ्रष्टाचार करते हैं ।

इस शोध लेख में चुनावी भ्रष्टाचार के मार्ग , चुनावी भ्रष्टाचार में लिप्त यंत्रणा और इन पर नियंत्रण करने हेतु एक राष्ट्र एक चुनाव किस प्रकार उपयुक्त एवं समर्पक रहेगा इसका विश्लेषण किया है ।

वर्तमान भारतीय समाज , शासन, प्रशासन अनेक सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक समस्याओं का सामना कर रहा है । इनमें भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या है । मानवी एवं राष्ट्र के जीवन से संबंधित सभी अंग भ्रष्टाचार से लिप्त हैं । भ्रष्टाचार सर्वव्यापी एवं सर्वसमावेशक बना है । भ्रष्टाचार के अनेक मार्ग और कारण हैं । इन सभी कारण एवं मार्ग में चुनाव यह एक महत्वपूर्ण मार्ग और कारण है । इसलिये इस शोध लेख में परियोजना निदेशक ने भ्रष्टाचार के चुनावी मार्ग पर विस्तार से चिंतन किया है । चुनावी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने स्वतंत्रता से ही अनेक प्रयास किये हैं । प्रस्तुत शोध लेख में चुनावी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु एक राष्ट्र एक चुनाव यह एक प्रमुख साधन हो सकता है , इसका विश्लेषण किया है ।

1952 के प्रथम आम चुनाव से 2019 के आम चुनाव तक चुनावी आयोग के सामने चुनावी भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित करें ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है । इस प्रश्न को सुलझाने हेतु हमारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने स्वतंत्रता से लेके आज तक अनेक समिती , आयोग का गठन किया है । इन सभी ने चुनावी भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु अनेक सुझाव दिये हैं । जो राजनीति के कारण वास्तव में नहीं आये हैं ।

2. चुनावी भ्रष्टाचार के मार्ग :

चुनावी भ्रष्टाचार के अनेक मार्ग हैं I जिसमें चुनाव के दरम्यान अपनी नियुक्ती को रद्द करवाना , मतदाता को रिश्वत देना या लेना , मतदाता , अफसर , चुनावी कर्मचारी , आम जनता आदि को चुनाव के दरम्यान धमकाना , सांप्रदायिक साधनों का आधार लेकर चुनाव प्रचार करना , चुनाव के दौरान राष्ट्रीय चिन्हों का दुरुपयोग करना, मतदाता को अपने वाहनो में ले जाना , चुनाव बूथ पर कब्जा करना , चुनाव कि खर्च का अंकेक्षण न करवाना , चुनाव प्रक्रिया में कार्य करनेवाले कर्मचारी को मानधन न देना , फर्जी वोट डालना, चुनावी खर्च कि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करना , चुनाव में सरकारी अफसर या कर्मचारी का दुरुपयोग करना , सामाजिक शांतता को भंग करना आदि चुनावी भ्रष्टाचार या अपराध हेतु सरकार, व्यापारी , पुंजीवादी और स्वयं का पैसा और आर्थिक सत्ता का दुरुपयोग करना चुनावी भ्रष्टाचार है I

इस चुनावी भ्रष्टाचार से संबंधित सभी राजनीतिक दल , राजनेता , चुनावी प्रत्याशी , और चुनाव से संबंधित सभी के गैर आचरण को नियंत्रित करने हेतु चुनाव आयोग ने चुनावी आचारसंहिता को विकसित किया है I इस चुनावी आचारसंहिता का पालन करने में सभी का सहयोग आवश्यक है I लेकिन चुनाव में सम्मिलित सभी इस चुनावी आचारसंहिता को अपने राजनीतिक स्वार्थ नुसार इसका अर्थ निकलकर उसका पालन करते हैं I जो एक चुनावी भ्रष्टाचार ही है I इस चुनावी आचारसंहिता को तोड़ मड़ोरकर रखने का कार्य चुनाव में लिप्त सभी घटकों कि ओर से होता है I

3. चुनावी भ्रष्टाचार नियंत्रण के मार्ग :

उपरी सभी चुनावी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु चुनाव आयोग ने अनेक कारगर कदम उठाये हैं I जैसे कि संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर मिनी ओब्जरवर और पर्यवेक्षक कि नियुक्ती करना , चुनाव प्रक्रिया कि व्हिडियो ग्राफी करना , पुनर्मतदान करवाना , मतदान केंद्रों का सीधा लाईव प्रसारण करवाना , चुनावी प्रत्याशी पर नजर रखना , चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया में लिप्त सभी के आचरण पर वॉच रखना , चुनाव के दौरान मतदाता को लुभाने हेतु राजनीतिक दलों कि ओर से होनेवाले सभी प्रयास जैसे कि राजनीतिक घोषणाबाजी , मतदाता को जरूरतमंद चिजों को बटवारा करना , चुनाव प्रत्याशी के चुनावी खर्च पर नियंत्रण रखने का कार्य चुनाव आयोग करता है, चुनावी खर्च का अंकेक्षण न करवाना I फिरभी चुनाव के दौरान होनेवाली आर्थिक धांधलियों में कमी नहीं होती ऐसा प्रतीत होता है I

4. लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावो मे होता खर्च :

वर्तमान भारतीय चुनाव आयोग के सामने स्थानीय निकाय से लेकर सांसदो के चुनावो मे बडी मात्रा मे खर्च होनेवाला धन एक बडी समस्या है । इस समस्या का प्रमाण प्रतिदिन बढ रहा है । चुनावो पर होनेवाले खर्च से संबंधित एक जानकारी दर्शाती है की 2009 के लोकसभा चुनाव मे 1100 करोड और 2014 के लोकसभा चुनाव मे 4000 करोड रूपए खर्च हुआ था । 2019 मे भी प्रति मतदाता खर्च 72 रूपए बताया जा रहा है । इसके अतिरिक्त यदि उम्मिद्वारो के खर्च कि बात करे तो 2014 के लोकसभा चुनाव मे कुल 30 हजार करोड का खर्च हुआ था , जो 2019 मे बढकर करीब 60 हजार करोड हो गया । लोकसभा पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप का कहना है कि , लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने से खर्च आधे से भी कम हो जाएगा । लोकसभा चुनाव मे आयोग जितना खर्च करता है उसका दस गुण ज्यादा खर्च होता है ।

लोकसभा चुनाव के साल	चुनाव आयोग का खर्च	कुल खर्च (तकरीबन)
२०१४	३४२६ करोड	३५००० करोड
२००४	१११४ करोड	१०००० करोड
१९९६	५९७ करोड	२५०० करोड

२०१४ के आंकडों को आधार मानते हुए प्रति चुनाव हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर औसत खर्च करीब ७० करोड रु. और हर विधानसभा क्षेत्र (२९ राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशो दिल्ली तथा पुदुच्चेरी मे ४०३३) पर करीब १० करोड रु. बैठता है, यह मानते हुए कि लोकसभा और विधानसभा पर अगर एक ही दर से खर्च होता है. इसके साथ अगर बार - बार विधानसभा ,नगरपालिका और पंचायत चुनावो का भी खर्च जोड दिया जाए तो यह आंकडा १००००० करोड रु. से भी उपर चला जाएगा । अगर इस भरी भरकम खर्च पर लगाम लगाई जाती है तो इससे भ्रष्टाचार कम होगा और चुनावी व्यवस्था मे माफिया कि पकड कमजोर पडेगी और गलत पैसे का इस्तमाल रोकने मे काफी मदद मिलेगी । इस कारण चुनाव मे सकारात्मक सोच रखने वाले , शिक्षित एवं स्वच्छ चरित्र के व्यक्ती का सहभाग घटता जा रहा है । चुनाव पारदर्शी ,निष्पक्ष और स्वच्छ वातावरण मे करना मुश्कील

बनता हुआ है । चुनावी प्रक्रिया में बढ़ते काले धन के प्रभाव ने चुनावी भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुँचा दिया है । चुनाव में अपराधिक चरित्र का बढ़ता सहभाग चुनाव में आर्थिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है । चुनाव में जीत हासिल करने हेतु धन का गैर मार्ग से संचय एवं संपादन भी बढ़ रहा है । इसलिये चुनाव आयोग ने प्रत्याशी और दलों को संपत्ति और देनदारियों की सूची सार्वजनिक करने के लिये कानून बनाने को कहा है ।

चुनाव आयोग ने चुनावी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु विशेष चुनावी खर्च मानिट्रिंग प्रभाग, आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालयों आदि का भी निर्माण किया है । पिछले कुछ सालों से चुनाव में पेड न्यूज कि घटना बढ़ रही है । पेड न्यूज चुनाव खर्च कि मर्यादा को तोड़ रही है । इससे संसद, सरकार, मिडिया, प्रेस काऊन्सिल और राजनीतिक दल सभी परेशान हैं । इस परेशानी से मुक्त चुनावी व्यवस्था एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चलाए हेतु चुनाव आयोग ने बहतर कदम उठाए । जिसमें राज्य, जिला स्तर पर सतर्कता समितियों का हुआ निर्माण यह महत्वपूर्ण है ।

चुनावी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु चुनाव आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण चुनाव सुधार भी किये हैं । जिसमें राजनीतिक दलों के खर्चों को सील करना, अंकेक्षण अनिवार्य करवाना, मतदाता को रिश्वत देने को संज्ञेय अपराध घोषित करना, गंभीर अप्रधियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगवाना मतदाता जागरूकता, साक्षरता का अभियान भी चुनाव आयोग ने चलाया है ।

5. एक राष्ट्र एक चुनाव चुनावी भ्रष्टाचार नियंत्रण का माध्यम :

उपरी सभी बातें चुनाव में होनेवाले आर्थिक एवं अन्य भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का समर्थन करती हैं । इसके अलावा आये दिनों में भारतीय राजनीति में भारतीय चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने हेतु एक राष्ट्र एक चुनाव इस विषय पर चर्चा हो रही है । अनेक विद्वानों का मानना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव यह विषय चुनावी खर्चों और चुनावी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने की एक कारगर नीति साबित होगा । इस शोध लेख में किस प्रकार एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार चुनावी खर्चों और चुनावी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने में एक कारगर नीति साबित होगा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है ।

एक राष्ट्र एक चुनाव से देश निरंतर चुनाव के चक्र से मुक्त होगा । याने लोकसभा , विधानसभा या स्थानीय निकाय के चुनाव पांच साल में एक बार ही होंगे । अगर चुनाव ही नहीं होंगे या युं कहे चुनाव का प्रमाण ही घटेगा तो चुनाव में होनेवाला खर्च और भ्रष्टाचार आदि पर नियंत्रण होगा । लेकिन यहां एक बात है कि अगर पांच साल में एक ही बार चुनाव होंगे तो उसी चुनाव में होनेवाला खर्च भी बढ़ेगा । यह बात भी सही लगती है । लेकिन यह खर्चा दिन ब दिन होनेवाले चुनावी खर्चों से काम ही होगा ।

स्थानीय निकाय से लेके संसद के चुनाव तक जो खर्च होता है उसका कोई भी अंकेक्षण नहीं होता , इसी कारण चुनाव पर होनेवाला खर्च और दिखाया खर्च इसमें अधिक अंतर होता है । यह अंतर बंधने कि कवायत प्रशासनिक स्तर पर हर चुनाव में होती है । जिसकारण हमारा मनुष्यबल चुनाव खर्चों में किस प्रकार भ्रष्टाचार किया जाय यह सोचने में ही अपना समय गवाता है , इसमें सभी सम्मिलित नहीं रहते लेकिन प्रमाण अधिक है । एक राष्ट्र एक चुनाव से इसका प्रमाण कम होगा ।

एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार चुनावी भ्रष्टाचार से लेकर शासन , प्रशासन के स्तर पर होनेवाले आर्थिक भ्रष्टाचार समेत , आचरण एवं प्रशासनिक स्तर पर होने वाले भ्रष्ट आचरण को भी नियंत्रित करता है ।

निरंतर चुनाव से व्यक्ती का व्यक्तिगत, मानसिक , शारीरिक एवं आर्थिक स्वास्थ्य बिघडता है । मनुष्य का आर्थिक वर्तन और व्यवहार बिघडता है । एक राष्ट्र एक चुनाव से निरंतर चुनाव कि प्रक्रिया से राजनीतिक दल , चुनाव आयोग , चुनाव प्रत्याशी , चुनाव कर्मचारी आदि कि मुक्तता होगी । यह सभी अपना समय अपने कार्य को सुचारू रूप से और पारदर्शी करणे में अपना समय और पैसा देंगे । सभी प्रशासनिक कार्यालयों में चुनाव के कारण आम आदमी का काम नहीं रुकेगा , जिसकारण उसका आर्थिक नुकसान नहीं होगा । सरकारी नीति में रुकावट न आकर उसपर दोबारा खर्च होनेवाला पैसा बचेगा । शासन और प्रशासन में उपलब्ध मनुष्यबल का सही याने आर्थिक विकास में उपयोग होगा । राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक अधिकारी इनके संबन्धों में सुधार होगा । चुनाव जितने हेतू अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत फायदा उठाकर अधिक पैसा जमा कर अपने दलों को चंदा देणे कि

कवायतो से प्रत्याशी को छुटकारा मिलेगा । और भी ऐसे कई चुनावी भ्रष्टाचार एक राष्ट्र एक चुनाव से नियंत्रित होंगे ।

6. निष्कर्ष :

यह विचार सुनने में अच्छा है । लेकिन इसे कार्यान्वित करने हेतु सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ सलाह मशवरा करना होगा । संविधान के जानकार , विधि के पंडित से राय लेनी होगी । संविधान के अनेक धाराओं में संशोधन करना होगा । तब जाके यह विचार वास्तविक रूप धारण कर सकता है ।

संदर्भ ग्रंथ :

- 1) सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज और चुनाव आयोग
- 2) Law Commission Summary of Draft Working Paper on Simutaneous Elections-Constitutional and Legal Perspectives -2018
- 3) <https://aajtak.intoday.in.in/story/is-one-country-one-election-is-good-for-india-1-888702.html>
- 4) [Vicharmanthan](#)-महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव-2019 Jan.2020

